दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, बुधवार 22 फरवरी 2023 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-05, अंक- 146

महत्वपूर्ण एवं खास

अग्निपथ भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव, आईटीआई पास आउट भी कर सकेंगे आवेदन

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्र की एनडीए सरकार ने सेनाओं में जवानों की भर्ती के लिए नई योजना बनाई थी जिसमें युवा खुलकर सेना में भर्ती होने के लिए दिन-रात एक कर अपना दमखम दिखा रहे है। केंद्र ने अग्निपथ योजना का ऐलान किया था। सरकार ने अब योजना को लेकर एक बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत आईटीआई- पॉलिटेक्निक पास आउट आवेदन भी कर सकेंगे। सेना ने अग्निपथ भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बढ़ा दिया है। प्री स्किल्ड युवा भी अग्निपथ भर्ती में हिस्सा ले सकेंगे। आईटीआई- पॉलिटेक्निक पास आउट टेक्निकल ब्रांच में आवेदन कर सकेंगे। इस बड़े बदलाव के बाद अब और अधिक युवा उम्मीदवारों को नौकरी मिलने का अवसर बढ़ गया है। बता दें कि बीती 16 फरवरी से अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना में अग्निवीरों की भर्ती के रजिस्ट्रेशन शुरू हुए हैं। अग्निपथ भर्ती वर्ष 2023-24 के लिए अविवाहित पुरुष अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट द पर विजिट कर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट 15 मार्च, 2023 है जबकि चयन परीक्षा 17 अप्रैल, 2023 को आयोजित की जाएगी।

12 सांसदों के खिलाफ कार्यवाई की तलवार, जगदीप धनखड़ ने समिति को भेजा मामला

नई दिल्ली (आरएनएस)। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने 12 सांसदों के खिलाफ कथित रूप से विशेषाधिकार का हनन करने के मामले की जांच करने को कहा है। यह जांच संसद की एक समिति करेगी। राज्यसभा के बुलेटिन के अनुसार नौ सदस्य कांग्रेस के और तीन सदस्य आम आदमी पार्टी (आप) के हैं। जिन सांसदों के खिलाफ यह कार्रवाई होनी है उनमें कांग्रेस में शक्तिसिंह गोहिल, नारणभाई जे राठवा, सैयद नासिर हुसैन, कुमार केतकर, इमरान प्रतापगढ़ी, एल हनुमंतैया, फूलो देवी नेताम, जेबी एम हिशाम और रंजीत रंजन हैं। आम आदमी पार्टी सदस्यों में संजय सिंह, सुशील कुमार गुप्ता और संदीप कुमार पाठक हैं।

पंजाब, हरियाणा समेत देशभर में 70 से ज्यादा ठिकानों पर एनआईए की रेड

नई दिल्ली (आरएनएस)। मंगलवार सुबह देशभर में 70 से ज़्यादा ठिकानों पर एनआईए ने बड़ी छापेमारी की है। ये कार्रवाई गैंगस्टर्स और उनके सिंडिकेट के खिलाफ की गई है। ये छापेमारी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी समेत कई इलाकों में की गई है। जानकारी के अनुसार, रेड की यह कार्रवाई हरियाणा के सिरसा और नारनौल में गैंगस्टरों के ठिकानों पर हुई। बताया जाता है कि यह रेड गैंगस्टर टेरर फंडिंग केस में हुई है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, गुजरात और मध्य प्रदेश में हुई एक साथ कार्रवाई से हडक़ंप मच गया। सिरसा के कालांवाली में भी टीम पहुंची है। इससे पहले भी कालांवाली में जग्गा सिंह और डबवाली में चौटाला में छोटू भाट के निवास पर रेड पड़ चुकी है। बठिंडा में गैंगस्टर रम्मी के घर पर टीम ने रेड की। इसके अलावा प्रदेश में और भी कई जगह छापेमारी की गई है।

आयुष्मान योजना में धोखाधड़ी : जम्मू-कश्मीर के 13 अस्पतालों पर कार्यवाई

जम्मू (आरएनएस)। जम्मू-कश्मीर राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (एसएचए) ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) में धोखाधड़ी के लिए 13 अस्पतालों के पैनल से निलंबित कर दिया है और 17 अन्य पर भारी जुर्माना लगाया है। अधिकारियों ने कहा कि 2022 में फर्जी गतिविधियों में शामिल अस्पतालों पर 1.77 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया है, जिसमें से 1.34 करोड़ रुपए से अधिक की राशि एसएचए द्वारा अब तक वसूल की जा चुकी है।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, जिन अस्पतालों को कार्रवाई का सामना करना पड़ा है, उनमें इब्न सिना अस्पताल पर 24 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया और निलंबित, क्वालिटी केयर अस्पताल पर 6.64 लाख रुपए, नारायणा अस्पताल पर 54.62 लाख रुपए का जुर्माना लगा, इसबी अस्पताल के पैनल को निलंबित और वसीम मेमोरियल अस्पताल को पैनल से निलंबित कर दिया गया है।

इसके अलावा चनापोरा (श्रीनगर) के फ्लोरेंस अस्पताल पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया, शादाब अस्पताल पर 22 लाख रुपए का जुर्माना, मोहम्मदिया अस्पताल पर 6 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया, सोनवार (श्रीनगर) के किडनी अस्पताल पर 18.72 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। इस अस्पताल को पिछले साल फरवरी में पैनल से निलंबन का भी सामना करना पड़ा था।

केडी आई क्लिनिक अस्पताल पर 1 लाख रुपए का जुर्माना और पैनल से निलंबन, एएससीओएमएस पर जम्मू में 2.66 लाख रुपए जुर्माना, जबकि अल-नूर अस्पताल, मिडसिटी अस्पताल और साउथ सिटी नर्सिंग होम को पिछले साल सितंबर में पैनल से निलंबन का सामना करना पड़ा था।

सेंटर फॉर आई केयर अस्पताल पर 1.64 रुपए जुर्माना और पिछले साल दिसंबर में पैनल से निलंबन। श्रीनगर के नूरा अस्पताल पर 5.54 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया, बाबा नायक अस्पताल पर 69,000 रुपए का जुर्माना, रक्षा किडनी अस्पताल पर 20 लाख रुपए जुर्माना और नेशनल हॉस्पिटल जम्मू को पैनल से निलंबित कर दिया गया।

इंडिगो की फ्लाइट में बम की अफवाह, लखनऊ में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग

रांची (आरएनएस)। दिल्ली से झारखंड के देवघर आने वाली इंडिगो की फ्लाइट में बम होने की सूचना से हडक़ंप मच गया। इसके बाद फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग लखनऊ एयरपोर्ट पर कराई गई। सूचना के अफवाह निकलने पर एहतियात के तौर पर लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग के बाद मॉक ड्रिल भी किया गया। बताया जाता है कि लखनऊ के चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट (अमौसी एयरपोर्ट) पर दोपहर 12:20 बजे फ्लाइट की लैंडिंग के बाद उसे आइसोलेशन बे में ले जाया गया। हवाई अड्डे पर सुरक्षा खतरे का पता लगाने के लिए जांच की गई। लेकिन यह सूचना अफवाह निकली। जांच पूरी होने के बाद विमान को देवघर के लिए फिर रवाना किया गया।

इस बाबत इंडिगो एयलाइंस की ओर जारी बयान में कहा गया कि दिल्ली से देवघर जा रही इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6 ई 6191 को बम की धमकी के बाद लखनऊ एयरपोर्ट डायवर्ट कर दिया गया। वहां सभी आवश्यक सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया गया और विमान को टेकऑफ के लिए मंजूरी दे दी गई। एयरलाइंस ने बताया कि उसकी ओर से जांच में सुरक्षा एजेंसियों का सहयोग किया गया। इंडिगो के अधिकारियों ने कहा कि टेकऑफ के दौरान सभी आवश्यक सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया गया। इस संबंध में देवघर एयरपोर्ट के सुरक्षा प्रभारी सह डीएसपी सुमन आनंद ने बताया कि दरअसल सूरत से दिल्ली आने वाली फ्लाइट में बम होने की सूचना मिली थी, जो बाद में अफवाह साबित हुई। वही फ्लाइट दिल्ली से चलकर देवघर आती है।

यूपी पर्यटन के तनावग्रस्त वरिष्ठ अधिकारी ने इमारत से लगाई छलांग

मुंबई (आरएनएस)। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने काम के तनाव के चलते उत्तर-पूर्वी मुंबई के तिलक नगर स्थित एक इमारत से छलांग लगा दी, पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। तिलकनगर पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सुनील काले ने बताया कि पीड़ित की पहचान 59 वर्षीय विमलेशकुमार बनारसीदास अदित्य के रूप में हुई है। घटना तारा गगन हाउसिंग 95-बी बिल्डिंग में सुबह करीब 8.15 बजे हुई।

काले के मुताबिक, ऑदित्य ने इमारत की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी और गंभीर रूप से घायल अवस्था में उसे राजावाड़ी अस्पताल ले जाया गया, जहां बाद में उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने उनकी पत्नी रमा ऑदित्य से पूछताछ की, जिन्होंने बताया कि उनका पति योग्य इंजीनियर थे और दक्षिण मुंबई में वल्र्ड ट्रेड सेंटर में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के कार्यालयों में काम करते थे।

इससे पहले, वह लखनऊ मुख्यालय में उप निदेशक पर्यटन के पद पर कार्यरत थे, लेकिन दो महीने पहले काम के तनाव और घर से दूर रहने के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें 31 मार्च तक सेवा में बने रहने के लिए कहा था। काले ने कहा कि परिवार ने अभी तक उनके पास कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है, लेकिन पुलिस पीड़ित की मंशा और संबंधित मुद्दों का पता लगाने के लिए मामले की जांच कर रही है।

सोनू निगम पर हमला - पुलिस ने विधायक के बेटे पर मामला दर्ज किया

मुंबई (आरएनएस)। मुंबई पुलिस ने बीती रात गायक सोनू निगम पर हमले के मामले में शिवसेना (यूबीटी) के विधायक प्रकाश फटरपेकर के बेटे स्वप्निल पी. फटरपेकर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इंडियन सिंगर्स राइट्स एसोसिएशन (आईएसअराए) ने इस घटना की निंदा की, जो एक सप्ताह में दूसरी सेल्फी संबंधी मामला के रूप में सामने आई। आईएसअराए के सीईओ संजय टंडन ने कहा कि सोमवार रात चेंबूर महोत्सव 2023 के बाद सोनू निगम और उनकी टीम पर हुए गंभीर हमले के बारे में जानकर उन्हें गहरा दुख हुआ है।

संजय टंडन ने आगे कहा कि इस घटना से देश के सभी गायक भयभीत और चिंतित हैं। हम महाराष्ट्र सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियों से मामले को गंभीरता से लेने का अनुरोध करते हैं और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि ऐसी घटना किसी भी गायक/कलाकार के साथ दोबारा न हो।

इससे पहले मंगलवार को जोन पांच के पुलिस उपायुक्त हेमराजसिंह राजपूत ने कहा कि यह घटना उस समय हुई जब सोनू निगम सोमवार देर रात चेंबूर में एक संगीत कार्यक्रम से बाहर आ रहे थे।

राजपूत ने कहा कि कंसर्ट के बाद सोनू निगम जब मंच से नीचे आ रहे थे तब स्वप्निल पी. फटरपेकर नाम के एक व्यक्ति ने उन्हें सेल्फी के लिए रोका। जब सोनू निगम ने इनकार कर दिया तो उन्होंने गायक और दो अन्य लोगों को धक्का दे दिया, जिसमें एक को चोट लगी। हमने इस घटना के लिए केवल एक आरोपी (स्वप्निल फटरपेकर) के खिलाफ मामला दर्ज किया। अन्य स्वयंसेवक निगम की मदद के लिए आए, जिन्हें वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया।

लंदन और मुंबई से एमबीए की डिग्री के साथ संस्कार प्रतिष्ठान के अध्यक्ष स्वप्निल फटरपेकर रात करीब 11.30 कथित तौर पर सेल्फी लेने के लिए सोनू निगम के पीछे दौड़े, लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें रोक दिया। लेकिन इस दौरान धक्का-मुक्की हो गई।

स्वप्निल फटरपेकर की बहन और महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की सदस्य सुप्रदा फटरपेकर ने कहा कि जब कंसर्ट के बाद सोनू निगम को मंच से ले जाया जा रहा था, तो स्वप्निल ने उनके साथ एक सेल्फी लेने की कोशिश की।

उन्होंने कहा, भीड़ की वजह से हंगामा मच गया। गिरने वाले व्यक्ति को जेन अस्पताल ले जाया गया और जांच के बाद उसे छुट्टी दे दी गई, सोनू निगम सुरक्षित थे।

उन्होंने आगे कहा कि आयोजन टीम की ओर से हमने आधिकारिक तौर पर सोनू निगम और उनकी टीम से अप्रिय घटना के लिए माफी मांगी है। कृपया किसी भी आधारहीन अफवाहों और मामले का राजनीतिकरण करने की कोशिश करने वालों पर विश्वास न करें।

शादी के लिए पुरुषों और महिलाओं की उम्र नहीं होगी समान

❐ सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने पुरुषों और महिलाओं के लिए विवाह की एक समान उम्र सुनिश्चित करने का निर्देश देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि वह ऐसा कानून बनाने के लिए संसद को परमादेश जारी नहीं कर सकता। भारत के प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ता-अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की भी खिंचाई करते हुए कहा : हम यहां आपको या राजनीति के किसी भी वर्ग को खुश करने के लिए नहीं बैठे हैं। आप मुझे अनावश्यक टिप्पणियां मत दें। यह कोई राजनीतिक मंच नहीं है ..।

मामले की सुनवाई के दौरान प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अदालत को संसद के परम ज्ञान को टालना चाहिए और हमें खुद को कानून का अनन्य संरक्षक नहीं मानना चाहिए। संसद भी कानून का संरक्षक है। उपाध्याय ने कहा कि इस मामले में लैंगिक समानता से जुड़ा एक प्रश्न शामिल है और कानून के संरक्षक के रूप में अदालत को पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित करते हुए विसंगति को दूर करने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए। पीठ में शामिल जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जे.बी. पारदीवाला ने उपाध्याय को बताया कि हालांकि वह पुरुषों और महिलाओं, दोनों के लिए शादी की उम्र 21 साल चाहते हैं, याचिका में प्रार्थना शादी की न्यूनतम उम्र को पूरी तरह से निर्धारित करने वाले प्रावधान को खत्म करने के लिए थी।

प्रधान न्यायाधीश ने उपाध्याय से कहा कि इस प्रावधान को खत्म करने से ऐसी स्थिति पैदा होगी, जब महिलाओं के लिए शादी की कोई न्यूनतम उम्र नहीं होगी।

पीठ ने जोर देकर कहा कि यह अनुच्छेद 32 के तहत घिसा-पिटा कानून है और वह कानून बनाने के लिए संसद को परमादेश जारी नहीं कर सकती और न ही कानून बना सकती है। उपाध्याय ने कहा कि चूंकि पुरुषों और महिलाओं, दोनों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष करने के लिए संसद में एक कानून लाया गया है और विचार के लिए स्थायी समिति को भेजा गया है, इसलिए केंद्र सरकार से जवाब मांगा जाना चाहिए। हालांकि, उनकी दलीलें पीठ को राजी नहीं कर सकीं। सुनवाई के समापन पर उपाध्याय द्वारा की गई कुछ दलीलों से पीठ नाराज हो गई। शीर्ष अदालत द्वारा यह स्पष्ट किए जाने के बाद कि वह कानून बनाने के आदेश जारी नहीं करेगी, उपाध्याय ने कहा कि बेहतर होता कि दिल्ली हाईकोर्ट को इस मामले की जांच करने दी जाती। इस पर प्रधान न्यायाधीश ने उनसे कहा हम यहां आपकी राय सुनने के लिए नहीं हैं। सौभाग्य से, हमारी वैधता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप हमारे बारे में क्या महसूस करते हैं। हम आपके बारे में जो महसूस करते हैं, उस पर आपकी अनावश्यक टिप्पणी नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा, हम यहां अपना संवैधानिक कर्तव्य निभाने के लिए हैं, यहां आपको खुश करने के लिए नहीं हैं। न ही हम यहां किसी राजनीतिक वर्ग को खुश करने के लिए हैं। आप बार के सदस्य हैं, हमारे सामने तथ्य के साथ बहस करें। यह कोई राजनीतिक मंच नहीं है। अदालत ने उपाध्याय के इस सुझाव पर भी विचार करने से इनकार कर दिया कि यह मामला विधि आयोग को भेजने की स्वतंत्रता दी जाए।

ठाकरे-शिंदे विवाद : 22 फरवरी को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली (आरएनएस)। शिवसेना के नाम और सिंबल की लड़ाई के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एंट्री कर दी है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मुद्दे पर सुनवाई करेगा। चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ उद्धव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल दोपहर 3.30 बजे सुनवाई करेगा।

बता दें, चुनाव आयोग ने शिवसेना का नाम और पार्टी का सिंबल शिंदे गुट को देने का फैसला किया था, जिसके बाद उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटकाया था। उद्धव सोमवार को संविधान पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई चाहते थे। हालांकि अदालत ने यह कहते हुए सुनवाई नहीं की थी कि अर्जेंट सुनवाई के लिए एक प्रक्रिया है, जिसका पालन किया जाना जरूरी है।

वहीं सुनवाई के लिए उद्धव गुट की तरफ से दलील दे रहे कपिल सिब्बल ने कहा कि पहले ही उद्धव गुट के कार्यालय पर कब्जा किया जा चुका है। अगर इसकी सुनवाई नहीं हुई तो उनके बैंक खाते भी छीन लिए जाएंगे। चुनाव आयोग का आदेश सिर्फ विधानसभा के 33 सदस्यों पर आधारित है।

शिवसेना का नाम और निशान मिलने से उत्साहित शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर ये मांग कर दी थी कि बिना उनका पक्ष सुने कोई भी एकतरफा आदेश पारित न किया जाए।

धान की खरीद 700 एलएमटी के पार, किसानों को 1,45,845 करोड़ रुपए का एमएसपी भुगतान

नई दिल्ली (आरएनएस)। इस खरीफ सीजन में धान की खरीद 700 एलएमटी के आंकड़े को पार कर गई है और किसानों को करीब 1,45,845 करोड़ रुपये के एमएसपी का भुगतान किया जा चुका है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, केएमएस 2022-23 (खरीफ फसल) के लिए धान की खरीद 20 फरवरी तक 702 एलएमटी से अधिक धान की खरीद के साथ सुचारू रूप से चल रही है।

किसानों के खाते में सीधे भुगतान के हस्तांतरण के साथ 1,45,845 करोड़ रुपये के एमएसपी बहिप्रवाह के साथ 96 लाख से अधिक किसान पहले से ही चल रहे केएमएस खरीद कार्यों से लाभान्वित हो चुके हैं।

उन्होंने कहा कि परेशानी मुक्त खरीद कार्यों के लिए सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। केंद्रीय पूल में 20 फरवरी तक खरीदे गए धान के बदले चावल की डिलीवरी करीब 218 एलएमटी है। देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए सेंट्रल पूल में फिलहाल चावल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है।

वर्तमान केएमएस 2022-23 की खरीफ फसल के लिए, पिछले केएमएस 2021-22 (खरीफ फसल) के दौरान वास्तव में खरीदे गए 749 एलएमटी धान (चावल के मामले में 503 एलएमटी) की तुलना में 765.43 एलएमटी धान (चावल के संदर्भ में 514 एलएमटी) की खरीद का अनुमान लगाया गया है।

1 मार्च को होने वाली आगामी खाद्य सचिवों की बैठक में केएमएस 2022-23 की रबी फसल के लिए धान की अनुमानित खरीद को अंतिम रूप दिया जा रहा है। रबी फसल को शामिल करने के साथ, यह उम्मीद की जाती है कि पूरे केएमएस 2022-23 के दौरान लगभग 900 एलएमटी धान की खरीद की जा सकती है।

नागा शांति वार्ता होगी सफल - केंद्रीय मंत्री अमित शाह

कोहिमा (आरएनएस)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने नागा शांति वार्ता जारी रखी है और यह सफल होगी। नगालैंड के तुएनसांग सदर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने नागालैंड में शांति और विकास दोनों को आगे बढ़ाया है।

उन्होंने सभा को बताया, नागा शांति वार्ता चल रही है। पीएम मोदी ने जो शुरू किया है वह सफल होगा और आने वाले दिनों में नागा संस्कृति, भाषा, पहनावा, परंपरा और इतिहास को संरक्षित और विकसित किया जाएगा। गृह मंत्री ने ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन (ईएनपीओ) द्वारा मतदान बहिष्कार (27 फरवरी) को वापस लेने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि ईएनपीओ के सभी मुद्दों पर चर्चा की गई है और विधानसभा चुनाव के बाद समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

शाह ने कहा, विधानसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता के कारण, समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया जा सका। 27 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय नागा लोगों के अधिकारों और विकास को सुनिश्चित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करेगा। प्रभावशाली नागा निकाय ईएनपीओ ने 4 फरवरी को गृह मंत्री से आश्वासन मिलने के बाद अलग फ्रंटियर नागालैंड राज्य की अपनी मांग के समर्थन में 27 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने के अपने आह्वान को वापस ले लिया।

गृह मंत्री ने कहा कि सशस्त्र बल (विशेष शक्ति) अधिनियम (एएफएसपीए) को नागालैंड के सात जिलों के 15 पुलिस थाना क्षेत्रों से वापस ले लिया गया है, और तीन से चार साल के भीतर पूरे नागालैंड से एएफएसपीए को वापस ले लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जैसा कि मोदी सरकार ने कई आतंकवादी संगठनों के साथ शांति समझौते सहित कई काम किए हैं, पिछले आठ वर्षों के दौरान पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में चरमपंथी हिंसा की घटनाओं में 70 प्रतिशत की कमी आई है।

शाह ने कहा कि आठ साल में नागरिकों की हत्या में 83 प्रतिशत की कमी आई। उन्होंने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने 50 से अधिक बार पूर्वोत्तर का दौरा किया और क्षेत्र के विकास को नई ऊंचाई पर पहुंचाया। 75 साल में पहली बार किसी गरीब आदिवासी महिला के भारत की राष्ट्रपति बनने का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2014 से पहले आदिवासी क्षेत्रों और आदिवासी लोगों के विकास के लिए केंद्रीय बजट 21,000 करोड़ रुपये था, जिसे अब बढ़ाकर 86,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर के दूरस्थ और दूर-दराज के क्षेत्रों को विकसित करने के लिए 130 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए उपग्रह आधारित सर्वेक्षण और निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि 2015 से, 53 बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 142 ऐसी परियोजनाएं अब नागालैंड में पाइपलाइन में हैं, नागालैंड के 14 लाख लोगों को प्रति माह 5 किलो चावल मुफ्त मिल रहा है।